



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात अपील वाद संख्या-126/2022

महताव मियां

बनाम्

राज्य

—: आदेश :—

12/11/22
वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी महताव मियां, पिता-मोईन मियां, ग्राम-बकोरिया, थाना-सतबरवा, जिला-पलामू के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल के न्यायालय अधिहरण वाद संख्या-05/2020 में दिनांक 01.11.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील आवेदन समर्पित किया गया है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ट्रैक्टर चेसीस नं0-RAQ002991 इंजन नं0-RAQ002992 को ट्रैलर पर लोड 100 CFT पत्थर के साथ राजसात की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। आरोप है कि वन क्षेत्र से पत्थर को उत्खनन कर परिवहन किया गया है। अपीलकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया और जवाब जवाब दाखिल करने के पर सुनवाई के बाद राजसात का आदेश पारित किया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 अपराधों को कम करने की शक्ति प्रदान करती है। अधिहरण वाद संख्या-05/2020 में पारित आदेश से विपक्षी असंतुष्ट है और इस आदेश के विरुद्ध अपील किया गया है। अपील का ग्राउण्ड यह है कि कार्यवाही के दरम्यान एकत्र किये गये सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। कोई आरोप या सबूत नहीं है कि वन क्षेत्र से पत्थर बोल्टों की खुदाई की गई थी बल्कि साधारण सा आरोप है कि ट्रैक्टर से पत्थर को परिवहन किया जा रहा था। राजसात आदेश में कहीं उल्लेख नहीं है कि प्लॉट नं0-184 वन भूमि के साथ अधिसूचित है और कोई सबूत नहीं कि अपराध वन क्षेत्र में किया गया है। अपीलार्थी घटना के समय

9/8

उपस्थित नहीं थे। निचली अदालत को संपत्ति की प्रकृति और मूल्यांकन पर विचार करना चाहिए था, केवल 100 सी0एफ0टी0 पत्थर का परिवहन किया जा रहा था जिसका मूल्य मात्र 1000/- है, कोई बहुमूल्य लकड़ी या खनिज नहीं ढोया जा रहा था। पूर्व में कोई वन अपराध में ट्रैक्टर कभी संलिप्त नहीं रहा है। अपीलार्थी निर्दोष है, इस अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में निहित प्रावधान के अनुसार ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रावधान के तहत वसूल किए जाने वाले धन की राशि किसी भी परिस्थिति में 500/- रुपये से अधिक न हो। अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 में निहित प्रावधान के अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में जप्त वाहन को मुक्त करने की किया जाय।

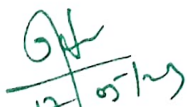
"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

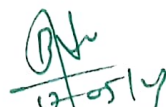
उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अभिलेख में उपस्थित दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मनिका वन क्षेत्र के चरवाड़ीह सुरक्षित वन भूमि से अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0-JH19A-4143 चेसीस नं0-RAQ002921, इंजन नं0-RAQ002921 से परिवहन किया गया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-33(1)(बी) के तहत एक दण्डनीय वन अपराध है। अपीलार्थी के द्वारा पत्थर बोल्टर का सक्षम प्राधिकार से निर्गत परिवहन चलान न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थीगण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराये। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
लातेहार।


उपायुक्त,
लातेहार।